

एकात्म भारत

जो एकात्म है वही भारत है

3 दिसंबर 2019, इंदौर

e-paper : www.ekatmabharat.com

शाखा मनुष्य निर्माण
की कार्यशाला, बोले
गौसेवा प्रमुख महापात्रा
गोरखपुर

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गोरखपुर महानगर इकाई का एकत्रीकरण रविवार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुआ। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्रा ने किया। साथ ही कहा कि संघ की शाखा मनुष्य निर्माण की कार्यशाला है। शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति नागरिकों का निर्माण करता है।

उन्होंने कहा कि रोजाना शाखा में जाने से स्वयंसेवक साधारण से असाधारण हो जाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर स्वयं सेवक को प्रमाणिकता और तत्परता से काम करना होगा। महापात्रा ने कहा कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने संपूर्ण समाज को राष्ट्रीय दृष्टि से जागृत एवं सक्रिय करते हुए सम्पूर्ण समाज को एकत्रित करने का काम किया। वह देशभक्त के साथ श्रेष्ठ संगठक थे। भारतीय दर्शन, संस्कृति और इतिहास का गहराई से अध्ययन किया था, तभी तत्कालीन चुनौतियों, उसके समाधान और भविष्य की योजनाएं स्पष्ट थीं। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके मन में कैसी चिढ़ थी, यह उनके बचपन के प्रसंगों से दिखता है। स्वयंसेवक के अंदर काम करने की असाधारण क्षमता हो जाती है। इस मौके पर गोरख प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष, सह प्रांत प्रचारक रमेश, प्रांत प्रचार प्रमुख उपेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रांत कार्यवाह प्रो. संजीत, आत्मा सिंह, उमेश सिंह, संकषण, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. राधा मोहन दास और प्रदीप शुक्ला मौजूद रहे।

ब्रिटिश जज ने भी राम जन्मस्थान पर बाबरी टांचे को दुर्भाग्यपूर्ण कहा था...

अयोध्या

भारत में मुगल काल से ही यूरोपियन व्यापारियों और यात्रियों का आना प्रारंभ हो गया था। इनमें से बहुतों ने अपने यात्रा वृत्तान्त संस्मरण आदि लिखे हैं। जब राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को बाबर द्वारा तोड़े जाने के प्रमाण मांगे गए, तब अनेक विद्वानों ने जगह-जगह से दृढ़कर इन अभिलेखों को प्रस्तुत किया। ये वक्तव्य राम जन्मभूमि मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए। इन वृत्तान्तों में राम जन्मस्थान के अलावा अयोध्या के बारे में कई बातें, स्थानीय लोगों की सोच मान्यता आदि का पता चलता है। इसी कड़ी में फैजाबाद के जिला जज कर्नल चामियर का वह निर्णय भी उल्लेखनीय है जो उन्होंने सिविल अपील संख्या 27/1885 के सिलसिले में इस स्थल का निरीक्षण करने के बाद दिया था।

उसकी शब्दावली कुछ प्रकार है : मैंने कल भी सभी पक्षों की मौजूदगी में विवादित सभी स्थलों का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद अयोध्या में नदी के किनारे पर पश्चिम अथवा दक्षिण पर खड़ी है तथा यहां आबादी नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मस्जिद, हिन्दुओं द्वारा विशेष रूप से पवित्र मानी जाने वाली भूमि पर खड़ी है। किंतु, यह घटना 356 वर्ष पहले की है और इस शिकायत को दूर करने के लिए काफी विलम्ब हो गया है। अब जो किया जा सकता है, वह यह कि पक्षों को यथार्थतः में रखा जाए। प्रस्तुत मुकदमे जैसे मामले में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाभ की अपेक्षा हानि तथा व्यवस्था को नुकसान ही



पहुंचाएगा। इसी तरह की बात ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी विलियम फिच, जो कि 1608 ई. से 1611 ई. तक भारत में रहा था, ने भी लिखा है कि अवध (अयोध्या) एक प्राचीन नगर है जो एक पठान राजा की राजधानी है और इस समय खंडहर हो गई है। यहां का किला चार सौ वर्ष पुराना है। यहां पर रामीचंद्र (रामचंद्र) का किला और महल भी खंडहर के रूप में विद्यमान है। इन्हें भारतीय लोग बड़ा देवता मानते हैं और यह कहते हैं कि उन्होंने यहां अवतार लिया था। यहां पर कुछ ब्राह्मण रहते हैं जो पास की नदी में स्नान करने वाले सभी यात्रियों के नाम लिखते हैं और उनके अनुसार यह प्रथा चार लाख साल से चली आ रही है।

कारनेगी द्वारा लिखित फैजाबाद का इतिहास
पी कारनेगी ने फैजाबाद तहसील का इतिहास 1870 में लिखा। उसने अयोध्या में रामकोट के बुर्ज, मीनारों और महलों का विवरण देते हुए यह बताया है कि राम-जन्मस्थान मंदिर के स्तम्भ कसौटी पत्थर के नक्काशी करके बनाए गए हैं। जिनका उपयोग मुसलमानों ने बाबर की मस्जिद के निर्माण के लिए किया था। कारनेगी ने यह भी उल्लेख किया है कि अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में समीप की ही भूमि में एक नए जन्मस्थान मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसका यह कहना है कि 1855 ई. तक हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस मस्जिद में पूजा करते थे।
(विश्व संवाद केंद्र से साभार)

बीएचयू में फिरोज खान का फिर विरोध, संस्कृत विद्या संकाय के गेट पर जड़ा ताला

बनारस

थोड़े समय की शांति के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (एसबीडीवी) में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. फिरोज खान के खिलाफ सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीएचयू के तमाम छात्रों ने संकाय के बाहर एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए संकाय के गेट पर ताला जड़ दिया है। धरना दे रहे एक छात्र ने बताया कि पूर्व में उन्होंने फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर विवि के प्रशासन से जवाब मांगा था, लेकिन विवि ने अब तक इसपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।

इससे पहले बीएचयू में 7 नवंबर से 22 नवंबर तक धरना और प्रदर्शन होते रहे थे। विवि प्रशासन

की समझाइश के बाद इन्हें समाप्त किया गया था। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों ने बीएचयू प्रशासन से बात की थी और समझौते में विवि से

लिखित रूप से फिरोज खान की नियुक्ति पर जवाब मांगा गया था। बीएचयू प्रशासन ने आंदोलनरत छात्रों की ओर से पूछे गए इन सवालों का 10 दिन के अंदर लिखित



जवाब देने का आश्वासन दिया था। दस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी विवि प्रशासन ने छात्रों के प्रश्नों उत्तर नहीं दिए हैं।

छात्रों ने कुलपति से ये प्रश्न किए हैं

- इस नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ने यूजीसी के किस शार्ट लिस्टिंग प्रक्रिया को अपनाया है?
- विश्वविद्यालय संविधान के अनुसार नियुक्ति

प्रक्रिया सम्पन्न हुई है?

-क्या बीएचयू ऐक्ट के 1904, 1096, 1915, 1955, 1966 और 1969 ऐक्ट को केंद्र में रखकर यह नियुक्ति की गई है?

-संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में क्या संकाय के अन्य सभी विभागों के अनुरूप ही शार्ट लिस्टिंग हुई है?

-क्या संकाय के सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर शार्ट लिस्टिंग की गई है?

इसके बाद सोमवार 2 दिसंबर को 10 दिन की मियाद पूरी होने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो छात्र फिर से संकाय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान कुछ छात्रों ने संकाय के गेट पर ताला भी जड़ दिया। विरोध कर रहे स्टूडेंट्स ने संकाय के गेट पर धरना देते हुए कुलपति और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।